



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 158/17

निर्णय दिनांक: 1.12.2017

1. प्रहलाद पुत्र बिशनाराम जाति डाकोत निवासी बीकानेर

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 15-01-1994
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 15.1.1994 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व से ही अन्य को आवंटित भूमि का भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमिहीन के तहत आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवेदन पर व तमाम जॉच व सबूतों के आधार पर उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 2 एमकेएम के मुरब्बा नम्बर 220/41 में 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया

गया। किन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही नानूराम पुत्र सुरजाराम जाति आचार्य साकिन 2 एमएसएम को आवंटनशुदा भूमि है। अपीलांट को उक्त भूमि मिलने की कोई संभावना नहीं है। अदालत मातहत को अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भलीभांति जाँच करनी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन हेतु शुद्ध रूप से उपलब्ध है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन कर दिया गया जो पूर्व से ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आदेश आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावे कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे। उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-01-1994 के विरुद्ध अपील दिनांक 27-4-17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि पूर्व से ही अन्य को है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश में दिनांक 15-1-1994 के विरुद्ध अपील पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में आवंटनशुदा भूमि का आवंटन किया गया है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 2 एमकेएम के मुरब्बा नम्बर 220/41 में 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि का भूमिहीन के तौर आवंटन सलाहकार समिति की राय पर आवंटन किया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही

नानूराम पुत्र सुरजाराम जाति आचार्य साकिन 2 एमएसएम को आवंटनशुदा भूमि है। अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा इस आधार पर नहीं मिला कि उक्त भूमि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है।

(3) जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को चक 2 एमकेएम के मुरब्बा नम्बर 220/41 में 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया, परन्तु मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि तहसीलदार पूगल की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी पूर्व में नानूराम पुत्र सुरजाराम जाति आचार्य साकिन 2 एमएसएम को आवंटनशुदा भूमि है। इसलिए अपीलांट को उक्त आराजी जैर का कब्जा प्राप्त नहीं हो सकता। अतः अपीलांट पात्रता अनुसार अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

—4—

(4) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त व विधि विरुद्ध किया गया आवंटन है।

(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार-बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(6) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा स्वयं अपने पत्राचार में अंकित किया है कि आवंटन की पृष्टि की जावे। अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को आवंटित आराजी जैर का आवंटन अन्य को किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(7) इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैं:—

—5—

(क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जाँच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रुटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रुटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपाने की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।

(ग) उक्त त्रुटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षों बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रुटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार-बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशम्य स्वयं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना-बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये हैं।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ङ) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जाँच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रुटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जाँच कर कार्यवाही करें।

(7) जब अदालत हाजा के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का कृतव्य है कि अपीलांत के विरुद्ध हुई

इसप्रकार की अनियमितता के संबंध में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना व अपीलांत की पात्रता आज दिनांक तक कायम रहते हुए अपीलांत को पूर्व में अन्य को आवंटनशुदा भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांत पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7 अतः बिन्दु संख्या 6 के मद संख्या 1 से 7 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-1-1994 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के

साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत को उसकी पात्रता की जाँच करते हुए विवादरहित व शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर